सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं.- 363/21 *दिनांक- 02 अगस्त 2021*

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- अहरौला

एनडीपीएस एक्ट में एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाये गये अवैध शराब गाँजा व स्मैक/चोरी/लुटेरे आदि से सम्बन्धित वांछित अपराधियों के गिरफ्तारी व बरामदगी के अभियान के क्रम मे व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन मे व थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल के कुशल नेतृत्व मे उ0नि0 श्री विजय प्रकाश मौर्य प्रभारी चौकी माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ मय राही पुलिस बल के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दिवाकर भारती पुत्र पतिराम निवासीग्राम रसूलपुर जोखू थाना फूलपुर आजमगढ़ को टिकुरिया तिराहे पर हनुमान मन्दिर के पास से समय करीब 06.10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 65 पुडिया स्मैक कुल वजन 10 ग्राम 330 मि0 ग्राम स्मैक बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त दिवाकर भारती पुत्र पतिराम निवासीग्राम रसूलपुर जोखू थाना फूलपुर आजमगढ़ बता रहा है कि साहब पहली बार एक अज्ञात राहगीर के द्वारा प्रलोभन देने पर ने स्मैक पी लिया और उसी के कहने पर इस पुडियो को खरीद लिया तथा आटो चालको व रिक्सा चालको व अन्य लोगोको बेचकर पैसा कमाने के लालच मे पड़ा था कि आप लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया। माल देने वाले को पहले ने कभी नही देखा था। साहब गलती हो गयी है माफ कर दिया जाय। इस प्रकार अपनी गलती की माफी मांगते हुए चुप है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 115/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौला , आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- दिवाकर भारती पुत्र पतिराम निवासीग्राम रसूलपुर जोखू थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय राह हे0का0 दारा शंकर यादव , थाना अहरौला , आजमगढ़

2- का0 ऋषिकेश यादव, का0 दीपनरायण यादव थाना अहरौला , आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

दिनांक 23.05.2021 को श्री रमेश यादव पुत्र इवहारी यादव ग्राम व पोस्ट देवइत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बॉवत दिनांक 22.05.2021 को खुद की 03 राशि गाय व 01 राशि बछिया जो प्रत्येक दिन की भाति चरने हेतु सिवान/ताल मे छोड़ा गया था परन्तु शाम तक वापस न आने पर काफी खोजबीन करने पर आज दिनांक 23.05.2021 को समय 14.00 बजे कोइलारी बुजुर्ग के सिवान मे मगई नदी के पास खेत मे मेरी एक गाय जीवित मिली तथा 02 राशि गाय तथा 01 राशि बछिया का वध कर देने तथा गोवंश के कुछ अवशेष मौके पर पड़े होने के सम्बन्ध मे दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 58/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में ब0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा मय साथी उ0नि0 अनुपम जायसवाल व मय हमराहीयान के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 58/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में प्रकाश में आया अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल अहद ग्राम कोईलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मूखबीरी सूचना पर आज दिनांक 02.08.2021 को समय करीब 08.30 बजे अभियुक्त के घर कोईलारी से गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त के मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 58/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- नसीम पुत्र अब्दुल अहद ग्राम कोईलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- ब0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा व उ0नि0 अनुपम जायसवाल, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

2- हे0कां0 विनोद कुमार व रि0कां0 राजेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

दहेज हत्या के वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश/चलाये जा रहे अभियान वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु *SHO* हिमेन्द्र सिंह मय राह का0 अंकुर सिंह ,का0 शैलेन्द्र,क0 नीलेश प्रताप सिंह,म0आ0 पूजा यादव,म0आ0 नीलम देवी द्वारा एक नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 195/2021 धारा 498ए/304बी व ¾ डी0पी0 एक्ट के वांछित अभियुक्त सूर्यभान राजभर पुत्र स्व0 हरिलाल राजभर निवासी ग्राम मेहदी पट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष के उपस्थित थाना आया कि बाद लिवाने मजीद जामा तलाशी रुबरु संतरी पहरा व राहियान न होने बरामद कोई शय अलावा पहने हुये कपड़ो के जिस्म जरावात ताजा चोटो से पाक साफ है। पुलिस दुर्व्यवहार का निन्दक नही है। गमे गिरफ्तारी खुराक खाने से मुनकिर है हस्व ख्वाहिस खुराक दी जायेगी को बाद देने हवालाती इस्तेमाली कम्बल अन्दर हवालात मर्दाना कर व रवाना शुदा शस्त्र/कारतुस राही कर्म0गण अन्दर मालखाना रखवाकर हरदो ताला बन्द ठीक संतरी प्रहरी को दिखाकर विश्वास कराया गया चाभी पूर्वत है। विवरण कार्य सरकार गिरफ्तारी इस प्रकार है प्रभारी निरीक्षक मय राह कर्म0गण मय सरकारी वाहन के थाना हाजा से रवाना होकर श्रावण मास सोमवारी शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व तलाश वाँछित अपराधी क्षेत्र मे मामूर कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यभान राजभर उपरोक्त कही भागने की फिराक में चुनहवा चौराहे पर शिव मुर्ति के बगल में गुमटी के पास खड़ा होकर गाडी का इन्तजार कर रहा है अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वाश कर प्र0 नि0 मय राह कर्म0गण मय सरकारी वाहन मय मुखबिर के रवाना होकर चुनहवा चौराहे से कुछ पहले पहुँचा ही था कि मुखबिर खास इशारा कर हट बढ गया कि पुलिस वालो द्वारा गाडी को खडी कर शिव मुर्ति के बगल में गुमटी के पास खडे ब्यक्ति पहुँचे ही थे कि पुलिस वालो के देखकर भागना चाहा कि पुलिस वालो द्वारा एक बारगी घेर कर पकड लिया गया पकडे गये ब्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना सूर्यभान राजभर पुत्र स्व0 हरिलाल राजभर निवासी ग्राम मेहदी पट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ बताया नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजाफ्ता बाकायदा समय करीब 09.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त जुर्म से इन्कार करते हुये अपनी गलती की बार बार माँफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में दिए जाने की बात बता रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सूर्यभान राजभर पुत्र स्व0 हरिलाल राजभर निवासी ग्राम मेहदी पट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 195/2021 धारा 498ए/304बी व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *SHO* श्री हिमेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 अंकुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 शैलेन्द्र थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. का0 निलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. म0आ0 पूजा यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
6. म0आ0 नीलम देवी थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- महराजगंज

आबकारी अधिनियम में एक गिरफ्तार

अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान मे ***पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह*** *द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में दिनांक 01.08.21 को मैं उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय मय राह वांछित अभियुक्त की पतारसी –सुरागरसी में क्षेत्र हाजा में मौजूद था कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियुक्त रामदरश वर्मा पुत्र स्व0 बंशू वर्मा साकिन नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान) उपरोक्त के बगरज गिरफ्तारी मुझ विवेचक को कटान बाजार पर हस्वबुल तलब किया गया। विवेचक मय राह प्रभारी निरीक्षक के साथ राह होकर मुखबिर की सूचना के अनुसार मय मुखबिर के अभियुक्त रामदरश वर्मा पुत्र स्व0 बंशू वर्मा साकिन नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान) के घर पर आया व अभियुक्त के दरवाजे से अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 01.08.21 को समय करीब 23.05 बजे बजाफ्ता बकायदा नियमानुसार गिरफ्तारी का कारण बता कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर अभियुक्त की पत्नी गीता देवी को दिया गया।*

पंजीकृत अभियोग-

1- 149/21 धारा 272, 273 IPC *व 60 आबकारी अधिनियम थाना महराजगंज आजमगढ़*

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- रामदरश वर्मा पुत्र स्व0 बंशू वर्मा साकिन नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान) थाना महराजगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO *गजानन्द चौबे मय राह का0 रवीन्द्र , थाना महराजगंज आजमगढ़*

2- का0 रामशरन, रि0का0 रविकान्त, व म0का0 सपना थाना महराजगंज आजमगढ़

3- म0का0 प्रार्थना तिवारीव उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय राह हे0का0 रमेश कुमार, हे0का0 समेरिका यादव थाना महराजगंज आजमगढ़।

थाना- बरदह

सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ अपना फोटो वायरल करने वाला गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद

दिनांक 01.08.2021 को उ0नि0 राजबहादुर यादव मय राह का0 कृष्णचन्द व का0 अमरनाथ शर्मा के थाना स्थानीय से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त/वारण्टी चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति/ वाहन करते हुए बक्सपुर चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक ब्यक्ति जिसका कुछ दिन पहले अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल हुआ है जिसको काफी लोगो ने देखा है वही ब्यक्ति नाजायज तमंचे के साथ ग्राम बीकापुर की तरफ से बक्सपुर की ओर आने वाला है । यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके मुखबिर की सूचना से राह कर्म0गण को अवगत कराते मौके से मैं उ0नि0 मय राह व मुखबिर के रवाना होकर करिया सिंह के ईंट भट्ठे के पास स्थित पुलिया के पास छिपकर आने वाले ब्क्ति का इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर में एक ब्यक्ति पैदल आता हुआ दिखायी दिया कि मुखबिर खास ने बताया कि जो ब्यक्ति पैदल आ रहा है यह वही है इतना कहकर मुखबिर हट बढ़ गया कि ब्यक्ति को पुलिया के पास पहुँचने पर पुलिस वाले एकाएक आड़ से उसके पास आये कि पुलिस वालों को देखकर वह ब्यक्ति पीछे की तरफ मुड़कर भागना चाहा कि एक बारगी घेर घार कर पक्की सड़क पुलिया से 10 कदम आगे बीकापुर की तरफ पक्की सड़क पर ही पकड़ लियेपकड़े गये ब्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रवि कुमार पुत्र श्री नरसिंह ग्राम बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया। नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो पहने हुए लोवर की बाँई फेट में खुसा हुआ 01 अदद तमंचा 315 बोर हुलिया बट लोहे का करीब 03 अंगुल जो दोनो तरफ लोहे की रिपिट से कसी हुई। तथा लोवर की दाहिने जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। नजायज तमंचा व कारतूस रखने के सन्दर्भ में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। तथा बताया कि साहब कुछ दिन पहले तमंचे के साथ मैं अपना फोटो गलती से सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि आज आप लोग पकड़ लिए कड़ाई से पूछताछ की गयी तो गलती की मांफी मांगने लगा अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3 /25 *A Act* का अपराध है। अत*:* अभि0 उपरोक्त को अपराध का बोध कराते हुए नियमानुसार समय करीब 08.10 बजे रात हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले तमंचे के साथ मैं अपना फोटो गलती से सोशल मीडिया पर डाल दिया था

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 159/21 धारा 3/25 अधि0 थाना बरदह आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- रवि कुमार पुत्र श्री नरसिंह ग्राम बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

1- एक अदद तमंचा .315 बोर एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 राजबहादुर यादव मय राह का0 कृष्णचन्द व का0 अमरनाथ शर्मा थाना बरदह आजमगढ

थाना-निजामाबाद

गैंगस्टर एक्ट में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा गैंगस्टर में वांछित चल रहे अभियुक्तों के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालनमेंअपरपुलिसअधीक्षकनगरके कुशल निर्देशन वक्षेत्राधिकारीसदर के कुशलनेतृत्व में मैं प्रभारी निरीक्षक मय राहीयान के संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग में सेन्टरवा में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 140/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त फुरकान पुत्र इसरार साकिन तोवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ जो अपने घर पर मौजूद है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके मैं प्र0नि0 मय राहियान के मौके पर पहुंचकर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 08.30 बजे नियमानुसार हिरासत में लिया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारअभियुक्त-

1- फुरकान पुत्र इसरार साकिन तोवा थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 59/20 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 140/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0श्री शिवशंकर सिंय राहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

किशोरी को बहला-फूसलकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना गम्भीरपुर एक गाँव की महिला द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि फरमान शाह पुत्र कलाम शाह सा0 डरौल थाना मतयरिया पश्चिम चम्पारण बिहार द्वारा मेरी नाबालिक पुत्री को बहला-फूसलाकर कही लेकर भाग गया है, इस सूचना थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर, विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर व प्र0 नि0 गम्भीरपुर के निर्देशन में उ0 नि0 अमरनाथ यादव मय हमराहीयान द्वारा मुखबीर की सूचना पर मु0 अ0 सं0 144/21 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त फरमान शाह पुत्र कलाम शाह सा0 डरौल थाना मतयरिया पश्चिम चम्पारण बिहार को आज दिनाक 2.8.21को समय 11.15 बजे बिन्द्रा बाजार से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकारी आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है तथा मुकदमा उक्त की विवेचना मे धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 *144/21* धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- फरमान शाह पुत्र कलाम शाह सा0 डरौल थाना मतयरिया पश्चिम चम्पारण बिहार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0 नि0 अमरनाथ यादव थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़।

2- का0 ज्योति प्रकाश राणा व का0 आशीष कुमार व म0 का0 सविता पटेल थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़।